[2018] 9 एस. सी. आर 1090

इलाहाबाद में न्यायपालिका का उच्च न्यायालय -

सामान्य पंजीकरण के माध्यम से

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

(2018 की सिविल अपील No.3356)

मार्च 28,2018

[आदर्श कुमार गोयल और आर. एफ. नरीमन, जे. जे.]

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1975-पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता का निर्धारण-इससे पहले,

2002 से 2007 तक की अवधि के लिए रिक्तियों का निर्धारण, रिक्तियों की उपलब्धता के बावजूद न तो पदोन्नति की गई और न ही

पात्रता और न ही सीधी भर्ती की गई थी-2007 में नियमों में संशोधन के बाद, भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, और

रिक्तियों पर काम किया गया और विज्ञापन जारी किए गए-पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती दोनों की नियुक्ति के बाद

नियुक्तियाँ, वरिष्ठता का विवाद सामने आया

रंगरूटों ने दावा किया कि वे नियमों के तहत निर्धारित रोटा प्रणाली के अनुसार वरिष्ठता दिए जाने के हकदार थे और उन्हें गलत तरीके से पदोन्नतियों से जूनियर रखा गया था-पदोन्नतियों ने दावा किया कि उनकी वरिष्ठता रिक्ति के संचय की तारीख से शुरू होनी चाहिए, उनकी पात्रता की तारीख, उपयुक्तता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना जो 2007 के नियमों के संशोधन के बाद पहली बार पूर्वव्यापी रूप से निर्धारित की गई थी-आयोजितः उच्च न्यायालय का यह विचार सही था कि अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में दिए गए निर्णय के संदर्भ में और पूर्वव्यापी रूप से लागू संशोधित नियमों के तहत उपयुक्तता परीक्षण की आवश्यकता थी।

उपयुक्तता परीक्षण के बिना पदोन्नति नहीं दी जाएगी और न ही वे इसके बिना वरिष्ठता का दावा कर सकते हैं-उन्हें उनकी नियुक्तियों से उचित रूप से वरिष्ठता दी गई थी-जहां तक कोटा-रोटा नियम का संबंध है, यह नियमों की एक अनिवार्य आवश्यकता है उक्त आवश्यकता को हालांकि विचित्र तथ्य स्थिति में देखा जाना चाहिए तथ्यों पर, रिक्तियों के निर्धारण का मुद्दा लगातार उलझा हुआ था।

मुकदमेबाजी-रिक्तियों के निर्धारण के अभाव में कोटा-रोटा नियम लागू नहीं किया जा सका नियम की वरिष्ठता के लिए प्रदान किया गया पदोन्नतियों को रिक्ति की उपलब्धता की तारीख से तय किया

जाना है, लेकिन वर्तमान तथ्य स्थिति में ऐसी वरिष्ठता भी नहीं दी जा सकती है-यदि रोटा नियम लागू किया जाता है, तो यह पद के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा।

इस प्रकार, नियमों को व्यावहारिक देना होगा

व्याख्या-यदि नियम तय करने पर कार्य करना अव्यावहारिक हो जाता है

दो स्रोतों से कोटा, इस बात पर जोर देने का कोई फायदा नहीं है कि प्राधिकरण को इस तरह के नियम को लागू करना चाहिए-एक नियम का सम्मान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन अगर इसे लागू करना संभव नहीं है, तो नियम को एक व्यावहारिक व्याख्या दी जानी चाहिए-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप।

रोटेशन सिद्धांत का पालन किए बिना प्रत्यक्ष भर्तियों से ऊपर पदोन्नतियों को दी गई वरिष्ठता को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. पहला मुद्दा यह उठाया गया है कि क्या वर्ष 2008/2009 में भर्ती किए गए पदोन्नत व्यक्ति इससे पहले वरिष्ठता के हकदार हैं।

समान के बिना वरिष्ठता। उन्हें उनकी नियुक्तियों से वरिष्ठता दी गई है। [पैरा 29] [1111-बी-डी] 2. कोटा-रोटा नियम के संबंध में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह नियमों की एक अनिवार्य आवश्यकता है। ने कहा कि

हालाँकि आवश्यकता को विशिष्ट तथ्य स्थिति में देखा जाना चाहिए। रिक्तियों के निर्धारण का मुद्दा उलझा हुआ था

निरंतर मुकदमेबाजी। रिक्तियों के निर्धारण के अभाव में कोटा-रोटा नियम लागू नहीं किया जा सका। उपयुक्तता परीक्षण हालांकि वैध रूप से निर्धारित किया गया था, लेकिन 2008 तक आयोजित नहीं किया जा सका था। उपयुक्तता परीक्षण के अभाव में कोई पदोन्नति नहीं दी जा सकती थी। नियम में पदोन्नत लोगों की वरिष्ठता रिक्ति की उपलब्धता की तारीख से तय करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्तमान तथ्य स्थिति में ऐसी वरिष्ठता भी नहीं दी जा सकती थी। यदि रोटा नियम लागू किया जाता है, तो यह पदोन्नति पाने वालों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का काम करेगा। अतः नियमों की व्यावहारिक व्याख्या करनी होगी। यदि दो स्रोतों से कोटा तय करने के नियम पर कार्रवाई करना अव्यावहारिक हो जाता है, तो इस बात पर जोर देने का कोई फायदा नहीं है कि प्राधिकरण को इस तरह के नियम को लागू करना चाहिए। एक नियम का सम्मान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन यदि इसे लागू करना संभव नहीं है, तो नियम की व्यावहारिक व्याख्या की जानी चाहिए। इस प्रकार, [2018] 9 एस. सी. ई. को दी गई वरिष्ठता के साथ उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप

रोटाटी सिद्धांत का पालन किए बिना प्रत्यक्ष भर्तियों से ऊपर पदोन्नतियों को बनाए नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 30] [1111-डी-एच]

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम। भारत संघ (2002) 4 एससीसी

247 [2002] 2 एस. सी. आर. 712-अनुसरण किया गया।

वी. के. श्रीवास्तव बनाम सरकार. उत्तर प्रदेश (2008) 9 एस. सी. सी. 77: [2008] 13

ऑफिसर्स एसोसिएशन v. महाराष्ट्र राज्य (1990) 2 एससीसी 715 : [1990] 2 एस. सी. आर. 900-पर निर्भर।

पी. के. दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1987) 4 एस. सी. सी. 621: [1988] 1 एससीआर 398 ; O.P.Garg v. यू. पी. राज्य (1991) सप. (2) एससीसी 51:

10 एससीसी 237: [2001] 2 पूरक। एस. सी. आर. 635; अशोक पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ (2010) 12 एस. सी. सी. 635: [2010]

12 एस. सी. आर. 25; हेट सिंह यादव बनाम। यू. पी. सिविल की स्थिति

2012 की अपील सं. 5270 ने 15.9.2016 पर निर्णय लिया-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2002] 2 एससीआर 712

पीछा किया।

पै

रा 1

[1988] 1 एससीआर 398

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2

[1991] 2 एससीआर 424

पै

रा 2

संदर्भित किया गया है

[2001] 2 पूरक। एससीआर 635

पै

रा 2

संदर्भित किया गया है

[2010] 12 एससीआर 25

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2

[2008] 13 एससीआर 24

उस पर भरोसा करें

पै

रा 2

[1995] 2 एससीआर 35

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[1990] 2 एससीआर 900

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 33:

2018 का

उच्च न्यायालय के 30.06.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की सेवा पीठ सं. 1880 में इलाहाबाद लखनऊ पीठ, लखनऊ में न्यायिक कार्य।

के साथ

2018 का सी. ए. सं. 3355

एसएलपी (सी) संख्या। 27284 और 2017 का 27876

2018 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 8334

टी. पी (ग) 2018 का सं. 81 इलाहाबाद में उच्च न्यायालय-टीएचआर। आरईजीआर। जनरल। वी. यू. पी. राज्य

आर. वेंकटरमानी, पी. एस. पटवालिया, सिद्धार्थ लूथरा, राकेश द्विवेदी, एस. आर. सिंह, आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री मयूरी रघुवंशी, यशराज सिंह बुंदेला, एम. आर. शमशाद, प्रवीण विग्नेश, व्योम

रघुवशी, संग्या मेगी, साक्षी कक्कड़, शक्ति सिंह, करण एस., सुश्री मैनका वर्मा, सुश्री प्रीतिका द्विवेदी, अपूर्व गर्ग, मंगल प्रसाद, अंकुर यादव, सुश्री श्वेता यादव, यश पाल ढींगरा, राणा रंजीत सिंह, अभय कुमार एस., रवीश सिंह, विवेक के. सिंह, कौशल नारायण मिश्रा, ए. के. बेहरा, जसबिर सिंह मलिक, सुश्री उषा नंदिनी। वी, प्रवीण कुमार अग्रवाल, संजय रस्तोगी, सुश्री मयूरी रघुवंशी, मोहित पॉल, अनुग्रह नीरज एक्का, विकास अरोड़ा, गर्वेश काबरा, अविरल सक्सेना, संजय कुमार त्यागी, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., राकेश यू. उपाध्याय, सुश्री आरती उपाध्याय, अमर दीप शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आदर्श कुमार गोएल, जे. 1. विशेष में दी गई छुट्टी

2017 की छुट्टी याचिका (सिविल) No.26993 और 2017 की SLP (सिविल) D. No.39750। विचार के लिए प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य में पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती उच्च न्यायिक सेवा (एच. जे. एस.) अधिकारियों की वरिष्ठता के निर्धारण की वैधता है। विवाद मुख्य रूप से प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए लागू किए जाने वाले सिद्धांत से संबंधित है और नियम 22 और 26 के संदर्भ में वर्ष 2007 और 2009 के पदोन्नति

3. पी. के. दीक्षित (उपरोक्त) में वरिष्ठता सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि रिक्तियों की गणना ठीक से नहीं की गई थी। 1 1 (2002) 4 एससीसी 247

3 (1991) सप. (2) एससीसी 51 4 (2001) 10 एससीसी 237 5 (2010) 12 एस. सी. सी. 635

6 (2008) 9 एससीसी 77 7 2012 की सिविल अपील No.5270 ने 15.9.2016 [2018] 9 एस. सी. आर. पर निर्णय लिया।

नियम। इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि नियम लागू होने से पहले उपलब्ध पदों पर नियुक्तियों के संदर्भ में मामले की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए। 4. ओ. पी. गर्ग (ऊपर) में, 1988 की वरिष्ठता सूची को चुनौती देने पर विचार किया गया था। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सेवा की निरंतर अवधि का लाभ

एक पदोन्नति अधिकारी के लिए एक पदोन्नति अधिकारी को एक रिक्ति की उपलब्धता के संदर्भ में होना चाहिए न कि उसके स्वतंत्र होने के लिए। नियम 8 (2) के दूसरे और तीसरे प्रावधान और नियम 22 और 26 के हिस्से को अधिकार से बाहर घोषित किया गया था।

5. श्री कांत त्रिपाठी (उपरोक्त) में प्रश्न प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच अनुपात निर्धारित करने के लिए गणना की शुद्धता के बारे में था। यह मुद्दा वर्ष 1988 से 1994 के लिए भर्तियों के संदर्भ में उठा था। इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि 1988 की भर्ती के लिए, उच्च न्यायालय को भर्ती के संबंधित वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए और फिर रिक्तियों को भर्ती के विभिन्न स्रोतों को आवंटित करना चाहिए। यह भी निर्देश दिया गया कि रिक्तियों को उस वर्ष में भरा जाना चाहिए जब रिक्तियां उपलब्ध हों। यदि पदोन्नति के कोटे में कोई पद उपलब्ध है, तो चयन किया जाता है लेकिन पदोन्नति नहीं दी जाती है, पदोन्नति उस तारीख से प्रभावी होनी चाहिए जब पदोन्नति प्राप्तकर्ता की नियुक्ति की जा सकती थी।

उनके शामिल होने की तारीख से पहले की तारीख। पदोन्नति पाने वाले की वरिष्ठता थी शुरू करने की तारीख से उन्हें एक उपलब्ध रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया जाना चाहिए था जिसके लिए उन्हें पहले ही चुना जा चुका था।

7. वी. के. श्रीवास्तव (उपरोक्त) में, 9 जनवरी, 2007 को अधिसूचित नियमों के संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि पूर्वव्यापी प्रभाव देने से संशोधन से पहले रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवार के निहित अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस न्यायालय ने रिट याचिका को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि वर्ष 2008 के चयन के लिए नियमों का विधिवत पालन किया गया था। 8. हेट सिंह यादव (उपरोक्त) में विचार के लिए प्रश्न 15 मार्च, 1996 से पहले मौजूद रिक्तियों के संबंध में पदोन्नति की वरिष्ठता सूची की वैधता थी। उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त, 2007 की वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता इस न्यायालय के समक्ष विचार का विषय था।

इलाहाबाद में यह उच्च न्यायालय-टीएचआर।

आरईजीआर। जनरल। वी. यू. पी. राज्य [आदर्श कुमार गोएल, जे.]

यह उल्लेख किया गया कि 16 दिसंबर, 2010 के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, अशोक पाल सिंह (उपरोक्त) के निर्देशों के अनुरूप 14 अप्रैल, 2016 को वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया गया था, जिसके खिलाफ मामला था

उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया और मामले के गुण-दोष को उच्च न्यायालय द्वारा उसके समक्ष लंबित मामले में जाने के लिए छोड़ दिया।

9. अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (उपर्युक्त) में यह निर्देश दिया गया था कि एच. जे. एस. में संबंधित समय पर भर्ती इस प्रकार होनी चाहिएः

" (क) योग्यता-सह-वरिष्ठता और उत्तीर्णता के सिद्धांत पर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) के बीच से पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत

एक उपयुक्तता परीक्षण;

(बी) सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) पर एक सीमित प्रतिस्पर्धी विभागीय परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत जो पांच साल से कम नहीं है।

योग्यता सेवा, और;

(ग) 25 प्रतिशत पदों को लिखित और मौखिक आधार पर सीधे पात्र अधिवक्ताओं से भरा जाएगा।

संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित परीक्षण।

10. यह देखा गया कि मुकदमेबाजी से बचने के लिए वरिष्ठता नियमों में आर. के. सभरवाल बनाम राज्य में निर्धारित रोस्टर प्रणाली का प्रावधान होना चाहिए।

पंजाब का 3. इस न्यायालय का निर्देश इस प्रकार हैः

" 29. अनुभव से पता चला है कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों में सेवा में उनकी वरिष्ठता के संबंध में लगातार असंतोष रहा है। तीन दशकों से अधिक समय से अधिकारियों की सापेक्ष वरिष्ठता तय करने के लिए बड़ी संख्या में मामले शुरू किए गए हैं।

दो अलग-अलग स्रोतों से भर्ती, अर्थात्, पदोन्नति

और सीधे भर्ती। आज के निर्णय के परिणामस्वरूप, एक तरह से उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के तीन तरीके होंगे। पदोन्नति के लिए जो कोटा हमने निर्धारित किया है, वह योग्यता सह वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन करते हुए 50 प्रतिशत, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा योग्यता पर सख्ती से 25 प्रतिशत और सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत है। अनुभव से यह भी पता चला है कि जहां तक वरिष्ठता का संबंध है, देश में जहां भर्ती में आरक्षण प्रणाली मौजूद है, वहां सबसे कम मुकदमेबाजी होती है

निर्धारित किया गया है जो कोटा से संबंधित है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। शायद ही कभी, अगर कभी, वहाँ

सेवा के सदस्यों के बीच एक मुकदमा रहा है

कोटा के अनुसार उनकी भर्ती के बाद, वरिष्ठता तय की जाती है

रोस्टर अंकों द्वारा और इस तथ्य के बावजूद कि कब एक

व्यक्ति को भर्ती किया जाता है। जब रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है, तो वहाँ है

किसी भी विवाद के उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं है। 40 अंकों की सूची है आर. के. में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

सभरवाल बनाम। पंजाब राज्य (ऊपर) के तरीकों में से एक किसी भी मुकदमेबाजी से बचना और इसमें निश्चितता लाना।

सम्मान पदों के संबंध में कोटा निर्दिष्ट करके किया जाता है न कि

रिक्तियों के संबंध में। यह मूल सिद्धांत है कि

जिसके आधार पर 40 अंकों की सूची काम करती है। हम उच्च को निर्देशित करते हैं

न्यायालय वरिष्ठता नियमों में उपयुक्त संशोधन और घोषणा करेंगे

इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित रोस्टर सिद्धांत का आधार

आर. के. सभरवाल मामला (ऊपर) जितनी जल्दी हो सके। हम उम्मीद करते हैं।

कि इसके परिणामस्वरूप आगे कोई विवाद नहीं होगा

वरिष्ठता का निर्धारण। यह स्पष्ट है कि यह प्रणाली कर सकती है केवल संभावित रूप से लागू होता है सिवाय इसके कि प्रासंगिक के तहत

घूर्णन प्रणाली। की वर्तमान सापेक्ष वरिष्ठता उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की रक्षा की जानी चाहिए

लेकिन भविष्य के लिए सूची विकसित करनी होगी।

(जोर दिया गया)

11. मूल रूप से बनाए गए नियमों में तीन स्रोतों की परिकल्पना की गई थी -

भर्ती-बार से सीधी भर्ती, उत्तर प्रदेश न्याय सेवा (यूपीएनएस) के सदस्यों और कैडर से बाहर के अधिकारियों से पदोन्नति।

न्यायिक मजिस्ट्रेट। विभिन्न स्रोतों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान था। नियुक्तियों की संख्या की पहचान करना आवश्यक है।

वरिष्ठता का निर्धारण नियम 26 के अनुसार किया जाना है।

12. उपरोक्त निर्णयों में टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, वहाँ था

नियमों में संशोधन। सभी को संदर्भित करना आवश्यक नहीं हो सकता है संशोधन लेकिन कुछ संशोधनों का संदर्भ हो सकता है

आवश्यक है।

13. तदनुसार, नियम 6 को प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया था

अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले में इस न्यायालय का निर्णय (ऊपर) यू. पी.

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय-टीएचआर।

आरईजीआर। जनरल। वी. यू. पी. राज्य [आदर्श कुमार गोएल, जे.]

उच्च न्यायिक सेवा (छठा संशोधन) नियम, 2006 को 09 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया। उक्त संशोधन द्वारा, पदोन्नति द्वारा भर्ती करने वालों के लिए मानदंड बदल दिए गए थे। एक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता को शामिल किया गया था। कोटा के प्रतिशत के बारे में भी संशोधन किया गया था। उक्त संशोधित नियमों के अनुसरण में उपयुक्तता परीक्षा पहली बार वर्ष 2008 में आयोजित की गई थी। रोस्ट की शुरुआत यू. पी. उच्च न्यायिक सेवा (सातवां संशोधन नियम, 2009) द्वारा की गई थी जिसे 8 अगस्त, 2009 को अधिसूचित किया गया था।

14. अब संबंधित नियमों का संदर्भ दिया जा सकता है।

नियम 5

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1975

(छठा संशोधन) नियम, 2006

(2006 में छठे संशोधन से पहले)

(21 मार्च, 2002 से लागू)

नियम 5. भर्ती के स्रोत। - द.

नियम 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया थाः

सेवा में भर्ती की जाएगी -

स्रोत

भर्ती-द

सेवा में भर्ती की जाएगी।

(क) वकीलों की सीधी भर्ती द्वारा और

कम से कम सात साल के अधिवक्ता '

अगले जनवरी के पहले दिन खड़े होना

(ए) सिविल के बीच से पदोन्नति द्वारा

अगले वर्ष जिसमें नोटिस आमंत्रित किया गया था

न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के आधार पर

आवेदन प्रकाशित किए जाते हैं;

योग्यता सह वरिष्ठता का सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करना।

(ख) पुष्टि किए गए सदस्यों की पदोन्नति द्वारा

उत्तर प्रदेश न्याय सेवा (इसके बाद)

(ख) सख्ती से पदोन्नति के आधार पर सीमित प्रतिस्पर्धा के माध्यम से योग्यता

न्याय सेवा के रूप में संदर्भित), जिन्होंने कम से कम सात साल की सेवा में काम किया है

सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ) की परीक्षा

अगले जनवरी के पहले दिन गणना की गई

प्रभाग) पाँच वर्ष से कम नहीं होना

उस वर्ष के बाद जिसमें सूचना दी गई थी

योग्यता सेवा;

आमंत्रित आवेदन प्रकाशित किया गया है:

(ग) दोनों में से सीधी भर्ती द्वारा

बशर्ते कि जब तक उपयुक्त अधिकारी हों

कम से कम सात के अधिवक्ता जनवरी के पहले दिन खड़े वर्ष

मरने वाले कैडर से उपलब्ध हैं न्यायिक मजिस्ट्रेटों ने अधिकारियों की पुष्टि की

जिसके बाद के वर्ष में

जिन्होंने सात साल से कम समय नहीं लगाया है

आवेदन आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित की जाती है।

उपरोक्त गणना की जाने वाली सेवा होगी -

अतिरिक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र सेवा में सत्र न्यायाधीश।

दोनों क्षमताओं में लिया जाएगा सात की अवधि की गणना में लेखा

खंड (ए) के तहत वर्ष। "[2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम 6

उत्तर प्रदेश उच्चतर

यू. पी. उच्च न्यायिक

उत्तर प्रदेश उच्चतर

सेवा नियम, 1975

न्यायिक सेवा (छठा)

न्यायिक सेवा

(छठे से पहले

संशोधन) नियम,

(नौवां संशोधन)

2006 में संशोधन)

नियम,

2014

2006

(21 तारीख से लागू होगा

मार्च, 2002)

नियम 6. कोटा। - विषय

नियम 6 को प्रतिस्थापित किया गया था नियम 6 को

प्रतिस्थापित किया गया था

नियम के प्रावधानों को

निम्नानुसारः

निम्नानुसारः

8 , विभिन्न के लिए कोटा

6. कोटा-विषय के अधीन

भर्ती के स्रोत

नियम 8 के प्रावधान,

कोटा-6। विषय के

अधीन

होगा।

विभिन्न स्रोतों के लिए कोटा

नियम 8 के

प्रावधान,

वि

भिन्न के लिए

भर्ती की जाएगी

कोटा

बशर्ते कि जहाँ

भर्ती के स्रोत

होगा।

(i) उत्तर प्रदेश न्यायीक

रिक्तियों की संख्या

किसी से भी भरा जाए

सेवाः

((a) के बीच से

((i) उत्तर प्रदेश

में

ये स्रोत

कोटा के अनुसार

सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ। न्याय सेवाः

विभाजन) के आधार पर

अंश में है, उससे कम

योग्यता-सह

((a) के बीच से

आधे को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और

में से

आधा का अंश या

सिविल

न्यायाधीश (वरिष्ठ)

वरिष्ठता और उत्तीर्णता

प्रभाग) पर

एक उपयुक्तता परीक्षण।

आम तौर पर अधिक होगा

-

एक के रूप में गिना जाता हैः

50 %

योग्यता-सह

का आधार

वरिष्ठता और

उत्तीर्णता

((b) योग्यता के आधार पर

एक उपयुक्तता

परीक्षण।

(i) सीधी भर्तियाँ

65 %

के माध्यम से

सीमित

बार 15 प्रतिशत

में से

((ख) के आधार

पर

प्रतिस्पर्धी

रिक्तियां

के माध्यम से

सिविल की जाँच

योग्यता

सीमित प्रतिस्पर्धी

(सीनियर

उत्तर प्रदेश

न्यायाधीश

न्याय सेवा 70 प्रतिशत

विभाजन) नहीं है

सिविल की

जाँच

पाँच साल से कम

(सीनियर

न्यायाधीश

योग्यता सेवा।

((iii) उत्तर प्रदेश

विभाजन)

नहीं है

पाँच साल से

कम

10 %

न्यायिक अधिकारी सेवा (न्यायिक)

सेवा करते हैं।

-10 %

बशर्ते कि मामले में

मजिस्ट्रेट) 15 प्रतिशत

वहाँ होने का

बशर्ते कि मामले में

एक वाई

वहाँ किसी भी होने का

आगे कहा गया है कि

रिक्तियों में कमी

आधार पर भरा जाता है

में कमी

जब शक्ति में

इन कैडर प्रतिस्पर्धी

रिक्तियां होंगी

न्यायपालिका का संवर्ग

आधार पर भरा जाता है

मजिस्ट्रेटों को धीरे-धीरे मिलता है

परीक्षा, छोटी गिरावट

25 प्रतिशत ऐसे लोगों के लिए आरक्षित

समाप्त या पूरी तरह से है

संवर्ग में

थका हुआ और उपयुक्त

पदोन्नति होगी।

प्रतिस्पर्धी

उम्मीदवार नहीं हैं।

जाँच, द

संगत द्वारा अच्छा

कोटा में वृद्धि

आवश्यकतानुसार उपलब्ध

10 प्रतिशत

की कमी

संख्याएँ या कोई उम्मीदवार नहीं

पदोन्नति के लिए आरक्षित

इस तरह के

लिए फिर से सेवा की

पदोन्नति होगी

दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ)

बिल्कुल उपलब्ध रहता है,

संख्या में कमी

प्रभाग) में संदर्भित

के द्वारा अच्छा

बनाया गया

आवश्यक रिक्तियों की संख्या

खंड (i) (ए)।

संबंधित

के बीच से भरा जाए

कोटे में क्रीज

पर

लंबे समय में सभी

रिक्तियों को इलाहाबाद-टीएचआर में उच्च न्यायालय से भरा जाएगा।

आरईजीआर। जनरल। वी. यू. पी. राज्य [आदर्श कुमार गोएल, जे.

(ii) सीधी भर्ती से पदोन्नति द्वारा

बार के सदस्यों के बीच-25 प्रतिशत

न्याय सेवा का

बशर्ते कि

और उनका कोटा होगा,

नियत समय में,

जहाँ की संख्या

रिक्तियों को भरा जाएगा

85 प्रतिशत हो जाता है।

इनमें से किसी भी स्रोत से

के अनुसार

आधे से अधिक

की उपेक्षा की जाएगी।

और आधे का अंश

या अधिक

सामान्य रूप से होगा

एक के रूप में

गिना जाएः "

6

नियम 8

आर

यू. पी. उच्च न्यायिक सेवा

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक

सेवा (छठा संशोधन) नियम,

नियम, 1975

(छठे संशोधन से पहले

2006)

(21 मार्च से लागू होना,

एफ.

नियम 8. नियुक्तियों की संख्या

नियम 8 में मौजूदा उप नियम (2) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया गया थाः

बनाया जाए। --- (1) न्यायालय करेगा,

टी

समय-समय पर, लेकिन बाद में नहीं

टी

अंतिम समय से

" 8. (2) यदि किसी भी चयन पर संख्या

तीन साल

6

भर्ती, संख्या तय करें

चयनित प्रत्यक्ष भर्तियों की उपलब्धता

अधिकारियों को लिया जाता है

के लिए

भर्ती को ध्यान में रखते हुए

" 8. (2) यदि किसी भी चयन पर संख्या

रिक्तियां तब विद्यमान और संभावित

चयनित प्रत्यक्ष भर्तियों की उपलब्धता

नियुक्ति के लिए कम है

यह अगले दो वर्षों में होगा।

द्वारा निर्धारित भर्तियों की संख्या

टिप्पणी-- तीन साल की सीमा

उस स्रोत से लिया जाने वाला न्यायालय,

एस.

इस उप-नियम में उल्लिखित नहीं होगा

न्यायालय

आयोजित पहली भर्ती के लिए आवेदन करें

समान रूप से संख्या

पदोन्नति द्वारा ली जाने वाली भर्तियाँ

इन नियमों के लागू होने के बाद।

न्याय सेवा से;

(2) यदि किसी भी चयन पर संख्या

के लिए उपलब्ध चयनित प्रत्यक्ष भर्तियाँ

बशर्ते कि संख्या

नियुक्ति संख्या से कम है

उपरोक्त रिक्तियों को भरा गया

न्यायालय द्वारा तय की गई भर्तियों की

इस उप नियम के तहत होगा

उस स्रोत से लिया जाए, न्यायालय

ध्यान में रखते हुए जब

रिक्तियों की संख्या तय करना

तदनुसार बढ़ सकता है

के कोटे में आवंटित किया जाना है

द्वारा ली जाने वाली भर्तियों की संख्या

न्याय सेवा से पदोन्नति; [2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि भरे गए रिक्तियों की संख्या

प्रत्यक्ष भर्तियाँ

इस उप नियम के तहत जैसा कि पूर्व में कहा गया है,

द.

अगला

ठीक करते समय ध्यान में रखा गया

भर्ती,

और

आवंटित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या

के लिए कोटा

अगली बार सीधी भर्तियों का कोटा

प्रत्यक्ष

नियुक्तियाँ

उठाया जा सकता

है

भर्ती, और सीधी भर्तियों के लिए कोटा तदनुसार उठाया जा सकता है; तो, हालांकि, कि

तदनुसार

सो,

लेकिन यह कि

में प्रत्यक्ष भर्तियों का प्रतिशत

सेवा किसी भी मामले में प्रति व्यक्ति 15 से अधिक नहीं है।

का प्रतिशत

सेवा की शक्ति का प्रतिशत।

सीधी भर्तियाँ

सेवा करता है

बशर्ते कि सभी स्थायी

किसी भी मामले में नहीं

25 प्रतिशत से अधिक

10 मई, 1974 को मौजूद रिक्तियां और 31

की ताकत

उस तारीख को मौजूद अस्थायी पद, यदि कोई हो

जब वे स्थायी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं

सेवा करते हैं।

पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा न्याय सेवा के सदस्यों के बीच;

और केवल शेष रिक्तियां होंगी इन तीन स्रोतों के बीच साझा किया गया

नियम;

बशर्ते कि रिक्तियों की संख्या

निर्दिष्ट रिक्तियों के 15 प्रतिशत के बराबर।

उनके अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट नियम 6 में निर्धारित 15 प्रतिशत का कोटा, और

इसके बाद, भविष्य की भर्ती (

सदस्यों के बीच से पदोन्नति में निर्दिष्ट रिक्तियों के विरुद्ध न्याय सेवा

अंतिम पूर्ववर्ती परंतुक) इस प्रकार होगा

यह व्यवस्था की गई कि जब तक अतिरिक्त 15

उपरोक्त के अनुसार प्रतिशत रिक्तियों पर काम किया गया है।

न्यायिक निकाय से नहीं भरा गया

मजिस्ट्रेट, रिक्तियों का आवंटन

इस प्रकार-- -

((iii) सदस्यों में से 55 प्रतिशत न्याय सेवा की।

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय-टीएचआर।

आरईजीआर। जनरल। वी. यू. पी. राज्य [आदर्श कुमार गोएल, जे.]

नियम 18

टी

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1975

(2006 में छठे संशोधन से पहले)

नियम 18. (1) नियम 16 में निर्दिष्ट चयन समिति प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी और उसके बाद ऐसी परीक्षा आयोजित कर सकती है, जो उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए आवश्यक हो। समिति ऐसे आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुला सकती है जो उसकी राय में जांच और परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए योग्य हैं।

स्वास्थ्य।

(3) चयन समिति प्रारंभिक चयन करेगी और सभी उम्मीदवारों का रिकॉर्ड मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करेगी और योग्यता के क्रम में उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगी, जो उसकी राय में हैं।

सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त।

(4) न्यायालय चयन समिति की सिफारिशों की जांच करेगा और सीधी भर्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, योग्यता के क्रम में चयनित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और उसे राज्यपाल को भेजेगा।

नियम 20

उत्तर प्रदेश

उच्चतर

यू. पी. उच्च न्यायिक

न्यायिक

सेवा (छठा)

सेवा नियम, 1975

(छठे से पहले

संशोधन)

नियम,

2006 में संशोधन)

2006

(डब्ल्यू.

ई. एफ. से लागू हो।

21 सें

ट मार्च, 2002)

नियम 20. का प्रचार

नियम 20

में

न्यायिक के सदस्य

मौजूदा उप-

नियम (1)
और (2), निम्नलिखित

सेवा-(1) द्वारा भर्ती

उप-नियम

को बढ़ावा देना

थे।

प्रतिस्थापित

कियाः

न्यायिक के सदस्य

सेवा की जाएगी

(1)

द्वारा भर्ती

सिद्धांत पर चयन

को

बढ़ावा देना

वरिष्ठता-सह-योग्यता।

सदस्

यों ने

(2) का क्षेत्र

न्याय

सेवा

भर्ती के लिए पात्रता

चयन

द्वारा किया जाता है

पदोन्नति से होगा

[20

18] 9 एस. सी. आर. के सिद्धांत पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

योग्यता-सह-वरिष्ठता

उनकी राय में

कौन उपयुक्त हैं

चार बार तक सीमित

रिक्तियों की संख्या

और इस तरह के एक पारित करने पर

आधार पर

नियुक्त किया जाता है

उपयुक्तता परीक्षण के रूप में

योग्यता-सह-

वरिष्ठता। में।

पदोन्नति से भरा। द.

ए की योग्यता

का आकलन करना

परिशिष्ट में निर्धारित

चयन समिति करेगी

के क्रम में एक सूची तैयार करें

" जी (1) "

उम्मीदवार,

चयन

अधिकारियों की वरिष्ठता

समिति का

बकाया है

(2) का क्षेत्र

के नियम 5 (बी) के तहत पात्र

उनकी सेवा के

बारे में

अभिलेख, क्षमता,

चरित्र के लिए

योग्यता

ये हैं नियम

द्वारा और वरिष्ठता। यह

होगी सूची

भर्ती

जिनके नाम

शामिल हैं

(3) चयन समिति

पदोन्नति

जाँच के बाद

अधिकारियों की

संख्या दोगुनी

तक ही सीमित रहेगा

आवश्यक

रिक्तियों की संख्या

शामिल अधिकारियों का रिकॉर्ड

संख्या का चार गुना

पदोन्नति द्वारा

भरा गया

उप के तहत तैयार की गई सूची में

इस नियम के नियम (2) से एक

रिक्तियों का होना

न्यायिक के

सदस्य

प्रारंभिक चयन

पदोन्नति से भरा।

सेवा।

अधिकारी जो अपनी राय में हैं

चयन

द.

आधार पर नियुक्त किए जाने योग्य

समिति

करेंगे।

क्रम में एक सूची तैयार करें

वरिष्ठता-सह-योग्यता।

ए के गुणों का आकलन करना

की वरिष्ठता

के तहत पात्र अधिकारी

उम्मीदवार, चयन

समिति का उचित ध्यान है कि

इनमें से नियम 5 (ए)

उनका सेवा रिकॉर्ड, क्षमता,

नियम।

चरित्र और वरिष्ठता। द.

सूची में नाम होगा

अधिकारियों की संख्या दोगुनी रिक्तियों को भरा जाना आवश्यक है

सदस्यों की पदोन्नति द्वारा

न्याय सेवा की। (4) चयन समिति

सूची को आगे बढ़ाएँगे चुने गए उम्मीदवार

प्रारंभिक चयन

मुख्य न्यायाधीश के साथ

उन अधिकारियों के नाम जो, यदि

किसी की राय में

समिति पारित की गई है।

पदोन्नति के लिए सेवा करते हैं।

(5) अदालत जांच करेगी

की सिफारिशें

चयन करें और अंतिम निर्णय लें पदोन्नति के लिए चयन और

के क्रम में एक सूची तैयार करें

उम्मीदवारों की वरिष्ठता

जिनके लिए उपयुक्त माना जाता है बढ़ावा देना और आगे बढ़ाना

गोवेमार के लिए भी ऐसा ही है। सूची में केवल तब तक चालू रहेगा जब तक

अगली भर्ती।

इलाहाबाद टीएचआर में उच्च न्यायालय।

आरईजीआर। जनरल। वी. यू. पी. राज्य [आदर्श कुमार गोएल, जे.]

नियम 21

डी.

एस.

1

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम,

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक

...

सेवा (छठा संशोधन)

1975

1

(छठे संशोधन से पहले

2006)

(लागू हो w.e.f21st

आर

नियम 21. के लिए अस्थायी प्रावधान

मौजूदा नियम 21

एफ.

निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गयाः - :

न्यायपालिका का संवर्ग

द.

आई.

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती

मजिस्ट्रेट। - (1) जब तक के लिए

उपयुक्त अधिकारी बाहर से उपलब्ध हैं।

न्याय सेवा के सदस्य के रूप में

उत्तर प्रदेश के मरने वाले कैडर का

नियम 5 (ख) में निर्दिष्ट होगा -

न्यायिक अधिकारी सेवा, पुष्टि की गई

चयन द्वारा सख्ती से किया गया

जिन अधिकारियों ने कम से कम काम नहीं किया है

एक सीमित के माध्यम से योग्यता का आधार

प्रतियोगी परीक्षा के रूप में

सात साल की सेवा योग्य होगी।

अतिरिक्त पद पर नियुक्ति के लिए

परिशिष्ट 'एच' में निर्धारित।

सेवा में सत्र न्यायाधीश, के रूप में

नियम 4,5,6 और 8 में प्रावधान किया गया है। इस तरह

(2) भर्ती के लिए आवेदन

अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं

ऐसे स्रोतों से सेवा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होंगे

कार्यवाहक और अस्थायी क्षमता

न्यायालय द्वारा इसके माध्यम से आमंत्रित
जिला न्यायाधीश।

15 प्रतिशत की सीमा तक

कैडर में रिक्तियां हो रही हैं

चयन की किसी भी एक अवधि के दौरान।

(3) जिला न्यायाधीश करेगा
सभी को अदालत में भेजें

(2) योग्यता का क्षेत्र

उनके द्वारा प्राप्त आवेदन

न्यायपालिका के बाहर से नियुक्ति

अपने स्वयं के अनुमान के साथ
प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र और

मजिस्ट्रेट चार तक सीमित रहेंगे।

रिक्तियों की संख्या का गुना

नियुक्ति के लिए योग्यता

इस स्रोत से भरा। चयन

सेवा करते हैं।

समिति क्रम में एक सूची तैयार करेगी।

योग्य अधिकारियों की वरिष्ठता।

(4) चयन समिति

नियम 16 में निर्दिष्ट

(3) चयन के लिए मानदंड होगा -

जाँच करें
आवेदन प्राप्त हुए और

वरिष्ठता-सह-योग्यता। मूल्यांकन में

एक सीमित प्रतिस्पर्धी रखें

एक उम्मीदवार के चयन के गुण

समिति का उचित ध्यान रहेगा -

जाँच, के रूप में

उनकी सेवा रिकॉर्ड क्षमता, चरित्र

परिशिष्ट 'एच' में निर्धारित।

और वरिष्ठता। प्रारंभिक

द्वारा चयन किया जाएगा

(5) चयन समिति

एक चयन सूची तैयार करेगा

में निर्दिष्ट चयन समिति

नियम 6 और चयनित लोगों की सूची

इसका आधार

उम्मीदवारों को भेजा जाएगा

सफलता की योग्यता

मुख्य न्यायाधीश के नामों के साथ

उम्मीदवार।

अधिकारी जो, यदि कोई हो, राय में समिति के लिए अनुपयुक्त हैं

♦

सेवा में नियुक्ति।

(4) न्यायालय जाँच करेगा कि

चयन की सिफारिशें

समिति बनाकर अंतिम चयन करें

और उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करें

नामों की सिफारिश करें

नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है

वरिष्ठता और नामों को आगे बढ़ाएँ

केवल अगले दिन तक काम करें

भर्ती।

(5) ....

(6) . ...

(6) समिति बनाएगी

प्रारंभिक चयन और जमा करें

सभी उम्मीदवारों का रिकॉर्ड

मुख्य न्यायाधीश और

द.

योग्यता के क्रम में उम्मीदवार जो,

अधिकारियों को। सूची बनी रहेगी।

उनकी राय में उपयुक्त हैं

सेवा में नियुक्ति।

(7) न्यायालय जाँच करेगा कि

की सिफारिशें

चयन समिति और एक

नियुक्ति के लिए अंतिम चयन

(7) न्यायालय जाँच करेगा कि

एच. जे. एस. संवर्ग में और एक

सूची तैयार करें

चयन की सिफारिशें

योग्यता का क्रम और आगे

समिति बनाकर अंतिम चयन करें

एच. जे. एस. संवर्ग में नियुक्ति के लिए और

गवर्नर के लिए भी ऐसा ही है। सूची

में

योग्यता के क्रम में एक सूची तैयार करें और

केवल तब तक चालू रहेगा जब तक

वही राज्यपाल को भेजें।

अगली भर्ती

यह सूची केवल तब तक चालू रहेगी जब तक कि

अगली भर्ती।

नियम 22

उत्तर प्रदेश उच्चतर

उत्तर प्रदेश

उच्चतर

यू. पी. उच्च न्यायिक

न्यायिक सेवा

न्यायिक

सेवा

सेवा नियम, 1975

(सातवां संशोधन)

(नौवां

संशोधन)

(छठे से पहले

नियम, 2009

नियम,

2014

2006 में संशोधन)

नियम 22. नियुक्ति

नियम

22

नियम 22 में,

(1) प्रावधानों के अधीन

नियुक्ति। - (1)

विद्यमान उप-

नियम (2)

उप-नियम (2) और (3),

प्रावधानों के अधीन

के रूप में

प्रतिस्थापित किया गया

इसके अंतर्गतः

उप-नियम (2) का

राज्यपाल प्राप्ति पर

सूचियों के न्यायालय से

गोवेमोर करेंगे

22. (2)

नियुक्तियाँ

नियम 18,20 और

न्यायालय से रसीद

सेवा होगी

21 नियुक्तियाँ करें

में उल्लिखित सूची

के आधार पर

नियम 18,20 और 21

सूची प्रणाली,

पहला

घटना पर सेवा द्वारा महत्वपूर्ण रिक्तियां

नियुक्तियाँ करें

पद से भरा

जाएगा

से उम्मीदवार लेते हैं

सेवा में

पदोन्नति की

सूची,

उस क्रम में सूची जिसमें

घटना

दूसरे पद का होगा

सीधे भरा जाता

है

द्वारा महत्वपूर्ण रिक्तियां

वे संबंधित में खड़े हैं

सूचियाँ।

से उम्मीदवार लेते हैं

भर्ती, तीसरा

और

सूची में क्रम में

चौथा पद होगा

जिसमें वे खड़े हैं

सूची से भरा हुआ

पदोन्नति और

पाँचवाँ

संबंधित सूचियाँ

के अनुसार

पद भरा जाएगा।

उम्मीदवार द्वारा

सूची.

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय-टीएचआर।

आरईजीआर। जनरल। वी. यू. पी. राज्य [आदर्श कुमार गोएल, जे.]

(2) नियुक्तियां

(2) नियुक्तियाँ

सेवा की जाएगी

सेवा की जाएगी

घूर्णन प्रणाली, पहला

सूची का आधार

प्रणाली, पहला और

रिक्तियों को भरा जाएगा

अधिकारियों की सूची

दूसरा पद होगा

सूची से भरा हुआ

न्याय सेवा। दूसरा। रिक्तियों को भरा जाएगा

बढ़ावा देता है, तीसरा पद

प्रत्यक्ष भर्तियों की सूची (और सो ऑन), शेष

से भरा जाएगा

प्रत्यक्ष भर्ती और

इसलिए रिक्तियां होंगी

चौथा

पद भरा जाएगा।

से पदोन्नति द्वारा भरा गया

उम्मी

दवार द्वारा

अधिकारियों की सूची

योग्

यता के आधार पर सख्ती से चुना गया

न्याय सेवा।

एल.

डी. सी. ई. के माध्यम से (और इसलिए
) के अनुसार

बशर्ते कि इतने लंबे समय तक

में

निर्धारित सूची

सी.

उपयुक्त अधिकारी हैं -

परि

शिष्ट 'टी', जो होगा

संवर्ग से उपलब्ध

बनने के लिए

रुकि

ए

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

तिथि

पर कार्यशील
संबंधित तीन धाराएँ

सेवा में नियुक्तियाँ

इस तरह से किया जाएगा

उन
का पूरा आवंटन प्राप्त करें

जिस तरह से दूसरा पाँचवाँ

रिक्ति
यां। इसके बाद

और आठवाँ (और इसी तरह),

उत्प
न्न होने का लेखा-जोखा

रिक्तियों को भरा जाएगा

के
कोटे में रिक्तियां

न्यायिक सूची से

संबं
धित धारा

उसी
को भरा जा सकता है

मजिस्ट्रेट।

उसी
नदी से

(3) विलम्ब की स्थिति में

कौन
सी रिक्ति उत्पन्न होती है

नियुक्ति करने में
उप-नियम (1) और आगे यदि

ब
शर्ते कि जब तक

सेवा की आवश्यकता SO

सू
चीका अनुसरण करते हुए
समय की कोई बात नहीं

आवश्यक है, राज्यपाल कर सकता है,

के साथ परामर्श में

प

दों का प्रतिशत

ई.

अदालत, अल्पावधि बनाएँ

सी

धे से भरा हुआ

भर्ती और एल. डी. सी. ई.

ठहराव अंतराल के रूप में नियुक्ति

2

5 प्रतिशत से अधिक

बीच से व्यवस्था

न्याय सेवा के सदस्य

उ

पलब्ध रिक्तियां

इन रिक्तियों में

च

यन के समय।

कोटा के भीतर सेवाएँ

प्र

तिशत के मामले में

एफ.

को

पार कर रहा है

न्यायालय द्वारा तय किया गया जब तक कि

टी

नियुक्ति के तहत किया जाता है

आ

वंटित कोटा, इस प्रकार

1

उपनियम (1) और (2):

सं

भाव्यता

बशर्ते कि अवधि

प्रो

मोटरी का कब्जा होगा

सदस्य द्वारा खर्च की गई सेवा

खा

ली पद जो

टी

च

ला गया होगा

अल्पावधि में न्याय सेवा

1

सेवा में नियुक्ति के रूप में

प्रत्

यक्ष भर्ती या एल. डी. सी. ई.,

एक विराम-अंतराल व्यवस्था होगी

क्

या ऐसा नहीं था

एफ.

से गणना की जाए

2

5 प्रतिशत से अधिक

नहीं।

1

नियम 26 के तहत वरिष्ठता।

दो

नों में से कोई भी।

8] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(4) नियुक्तियाँ (3) की संभावना में की जाएंगी

नियुक्ति करने में देरी

पर

घूर्णन प्रणाली, पहला

उप-नियम (1) के तहत और आगे

रिक्तियों को भरा जाएगा

यदि सेवा की आवश्यकता है तो

अधिकारियों की सूची से

राज्यपाल की आवश्यकता हो सकती है,

संविधान के साथ

न्याय सेवा,

अदालत, अल्पकालिक बनाती है

दूसरी रिक्ति होगी सूची से भरा हुआ

ठहराव-अंतराल के रूप में नियुक्ति

न्यायिक मजिस्ट्रेट (और

बीच से व्यवस्था

पदोन्नति, रिक्ति में

तो)।

बशर्ते कि अवधि

द्वारा खर्च की गई सेवा

अल्पावधि में बढ़ावा देता है

सेवा में नियुक्ति के रूप में

ठहराव-अंतराल व्यवस्था होगी

नियम के तहत गणना नहीं की जाएगी

26 .

नियम 26

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1975 (2006 में छठे संशोधन से पहले)

नियम 26. वरिष्ठता। -- (1) में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता

सेवा का निर्धारण आदेश के अनुसार किया जाएगा

के तहत सेवा में संकेत

इन नियमों के नियम 22 के उप-नियम (1) और (2)।

(2) इन नियमों के शुरू होने से पहले सेवा में पुष्टि किए गए सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता सरकार के आदेश द्वारा समय-समय पर संशोधित के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

15. अब हम आवश्यक तथ्यों पर ध्यान दे सकते हैं। इस न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि वरिष्ठता विवाद का लंबा इतिहास रहा है

एच. जे. एस. के सदस्य। इस प्रक्रिया में रिक्तियों के निर्धारण और पुनर्निर्धारण में जटिल और लंबे समय तक प्रयास किए गए। यद्यपि अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में (ऊपर)

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय-टीएचआर।

आरईजीआर। जनरल। वी. यू. पी. राज्य [आदर्श कुमार गोएल, जे.]

नियमों में संशोधन किया गया और 9 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया और उपयुक्तता परीक्षण और रोस्टर प्रणाली का सिद्धांत पेश किया गया, 2002 से 2007 तक की अवधि के लिए रिक्तियों के निर्धारण के अभाव में, रिक्तियों और पात्रता की उपलब्धता के बावजूद न तो पदोन्नति दी जा सकी और न ही सीधी भर्ती की जा सकी। इस प्रकार, संबंधित अवधि के लिए भर्ती वर्ष 2007 में देर से शुरू की गई थी। उपयुक्तता परीक्षण के अभाव में, जो केवल वर्ष 2008 में आयोजित किया गया था, पदोन्नतियों को पदोन्नति नहीं दी जा सकी। इन परिस्थितियों में, 2007 के बाद चुनी गई सीधी भर्तियों को उनके शामिल होने से पहले वरिष्ठता नहीं दी जा सकती थी। रोटा प्रणाली का पालन करके सीधी भर्तियों के लिए वरिष्ठता पदोन्नत लोगों के लिए अनुचित तरीके से काम करती।

16. इस पृष्ठभूमि में, 31 दिसंबर, 2006 तक रिक्तियों और 31 दिसंबर, 2008 तक अपेक्षित रिक्तियों का निर्धारण किया गया था। 15 फरवरी, 2007 को सीधी भर्ती और पदोन्नति।

17. वर्ष 2007 में नियमों में संशोधन के बाद रिक्तियों पर काम किया गया और 31 मार्च, 2007 को विज्ञापन जारी किया गया। पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए उपयुक्तता परीक्षा 10 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई थी। चयनित प्रत्यक्ष भर्तियों की अंतिम सूची को पूर्ण द्वारा अनुमोदित किया गया था

12 जुलाई, 2008 को न्यायालय।

18. 11 अगस्त, 2008 के आदेश के अनुसार, यूपीएचजेएस में पदोन्नति के माध्यम से नियुक्तियां की गईं। भर्ती किए गए अधिकारियों को यूपीएचजेएस को निर्देशित करें

चुनिंदा सूचियों को भी एक साथ न्यायालय को भेजा गया था, कुछ औपचारिकताओं के पालन के कारण, सीधे भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र बाद में पदोन्नति को प्रभावित करने के लिए दिए गए थे।
19. भर्ती वर्ष 2009 के लिए रिक्तियों की गणना को 24 मार्च, 2009 को अंतिम रूप दिया गया था। उसी को पूर्ण द्वारा अनुमोदित किया गया था

10 अप्रैल, 2009 को न्यायालय। पदोन्नति पाने वालों के लिए उपयुक्तता परीक्षा 29 नवंबर, 2009 को आयोजित की गई थी। पूर्ण न्यायालय द्वारा 9 जनवरी, 2010 को चयन सूची को मंजूरी दी गई थी। नियुक्तियों को 7 सितंबर, 2010 को अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2009 के लिए सीधी भर्तियां 24 दिसंबर, 2010 से 20 अप्रैल, 2011 के बीच की गई थीं। नियुक्तियों के बाद वरिष्ठता का विवाद खड़ा हो गया। प्रत्यक्ष भर्तियों ने दावा किया कि वे नियमों के तहत निर्धारित रोटा प्रणाली के अनुसार वरिष्ठता दिए जाने के हकदार थे और उन्हें गलत तरीके से पदोन्नति पाने वालों से जूनियर रखा गया था। पदोन्नति पाने वालों ने दावा किया कि उनकी वरिष्ठता अर्जित होने की तारीख [2018] 9 एस. सी. आर. से शुरू होनी चाहिए।

रिक्ति की तिथि, उनकी पात्रता और नियुक्ति की तारीख और वास्तविक नियुक्ति की तारीख से नहीं।

20. उच्च न्यायालय ने इस मामले को देखने के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति ने रिक्तियों का निर्धारण और वरिष्ठता का निर्धारण किया

1 अगस्त, 2011 को अंतिम रूप दिए गए आई. डी. 1 तक नियुक्त एच. जे. एस. अधिकारियों के लिए इसके बाद रिक्तियों का निर्धारण और

समिति ने 23 सितंबर, 2015 और 6 अप्रैल, 2016 की अपनी रिपोर्ट में 2007 और 2009 की भर्तियों की वरिष्ठता पर विचार किया था। इसे 14 जून, 2016 को पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। 21. समिति की 23 सितंबर, 2015 की रिपोर्ट 2007 से पहले भर्ती किए गए अधिकारियों के संदर्भ में 6 मई, 1995 और 13 जुलाई, 2011 की वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप देने वाली अपनी पिछली रिपोर्टों की निरंतरता में थी। समिति ने 7 तारीख की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से रिक्तियों का निर्धारण किया

फरवरी, 2012, जिसके आधार पर 25 जुलाई, 2013 और 18 दिसंबर, 2014 की अस्थायी वरिष्ठता सूचियां प्रकाशित की गईं। उक्त अस्थायी वरिष्ठता सूचियों पर आपत्तियों पर उक्त रिपोर्ट में विचार किया गया था।

22. समिति द्वारा विचार किया गया प्रश्न यह था कि क्या यू. पी. एन. एस. के अधिकारियों द्वारा लंबे समय तक कार्य करने का श्रेय दिया जाना चाहिए ताकि वे

उपयुक्तता परीक्षण आयोजित करने में देरी के कारण नुकसान नहीं हो सकता है। इस न्यायालय के 21 मार्च, 2002 के फैसले के बावजूद 9 जनवरी, 2007 तक नियमों में संशोधन न करने के कारण उपयुक्तता परीक्षण आयोजित नहीं किया गया था। इस प्रकार, 21 मार्च, 2002 से 2008 तक चूंकि अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के तहत नियमों की एक अलग व्यवस्था निर्धारित की गई थी और पदोन्नति कोटे में रिक्तियों की उपलब्धता के बावजूद, 9 जनवरी, 2007 को ही उच्च न्यायालय द्वारा नियमों में संशोधन किया गया था, इसलिए योग्य और उक्त रिक्तियों के खिलाफ कार्य कर रहे पदोन्नति अधिकारियों की भर्ती नहीं की जा सकी। वर्ष 2008 में पहली बार उपयुक्तता परीक्षा आयोजित होने के बाद ही उनकी भर्ती की गई थी। इस प्रकार समिति ने माना कि वे रोटा प्रणाली के बिना वरिष्ठता प्राप्त करने के हकदार हैं। प्रत्यक्ष भर्तियों को उनकी नियुक्ति से पहले की अवधि के लिए वरिष्ठता नहीं दी जा सकती थी। 2009 की भर्तियों के संबंध में भी यही स्थिति थी। समिति का विचार था कि रोटा प्रणाली असंतुलन और अन्याय पैदा करेगी।

23. प्रत्यक्ष भर्तियों के साथ-साथ पदोन्नत लोग भी व्यथित थे

उनकी वरिष्ठता के निर्धारण द्वारा और रिट याचिका दायर करके उन्हें चुनौती दी। प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा दायर 2017 की रिट याचिका (एस. बी.) No.1880 में, उत्तरदाता 134 से 173, उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य लोगों के साथ, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय-टी. एच. आर.

आरईजीआर। जनरल। वी. यू. पी. राज्य [आदर्श कुमार गोएल, जे.]

प्रार्थना 23 सितंबर की अंतिम वरिष्ठता रिपोर्ट को रद्द करने के लिए थी, 2015 (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति की), 6 अप्रैल, 2016 की पूरक रिपोर्ट (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति की भी) और रिट याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने के निर्देश के लिए, जो अन्य आनुषंगिक अनुरोधों के अलावा अपने कोटे के अनुपात में बारी-बारी से प्रणाली के आधार पर सीधे भर्ती किए गए थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि नियम 22 (2) वरिष्ठता के लिए आवर्तन आधार प्रदान करता है, इसलिए उनकी नियुक्ति की तारीख वरिष्ठता के उद्देश्य के लिए निर्णायक नहीं थी। तदनुसार, रिट याचिकाकर्ताओं ने रोस्टर प्रणाली लागू करके वरिष्ठता के निर्धारण की मांग की। उच्च न्यायालय और प्रभावित अधिकारियों ने पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित समिति की रिपोर्ट का बचाव किया।

24. पदोन्नतियों द्वारा दायर 2016 की रिट याचिका (एस. बी.) No.16569 में,

जहाँ तक नियम पूर्वव्यापी थे, संशोधन नियम, 2006 की वैधता को चुनौती दी गई थी। जहाँ तक वरिष्ठता सूची पर आपत्तियाँ खारिज की गई थीं, समितियों की रिपोर्ट और पूर्ण न्यायालय के निर्णय को भी चुनौती दी गई थी। उक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2002 के बाद की रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नत किया गया था, लेकिन उक्त रिक्तियों को वास्तव में बाद में निर्धारित किया गया था। उक्त रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे उपयुक्तता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना अपनी पात्रता की तारीख से वरिष्ठता के हकदार थे, जो पूर्वव्यापी थी। पहली बार 9 जनवरी, 2007 को निर्धारित किया गया।

25. उच्च न्यायालय ने दो प्रश्नों की जांच कीः

-

(i) क्या पदोन्नति पाने वाले अपने कार्यकाल से पहले वरिष्ठता के हकदार थे।

उपयुक्तता परीक्षण की आवश्यकता के आधार पर नियुक्ति

वर्ष 2007 में पहली बार पेश किया गया था और उनके पास एक था

पहले की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत होने का निहित अधिकार उपयुक्तता परीक्षण।

((ii) क्या प्रत्यक्ष भर्तियां बारी-बारी से लाभ पाने की हकदार थीं।

वरिष्ठता का निर्धारण। उच्च न्यायालय ने कहा कि

पदोन्नति पाने वालों को उनके चयन से पहले वरिष्ठता नहीं दी जा सकती थी।

निर्धारित उपयुक्तता परीक्षण नियमों की पूर्वव्यापीता थी

विशेष रूप से वी. के. में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए वैध है।

श्रीवास्तव (ऊपर)।

26. यह माना गया कि रिक्तियों का कोई निर्धारण नहीं किया गया था

मुकदमेबाजी के लंबित होने के कारण जिसे 25 अगस्त, 2004 को अंतिम रूप दिया गया था। 2005 तक 1998-2000 के बाद कोई सीधी भर्ती नहीं की गई थी। 25 अगस्त, 2004 के बाद ही रिक्तियों का निर्धारण किया गया।

सी आर।

05 में उक्त चयन के संबंध में सटीक भर्तियां की गईं। पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियां जो वर्तमान मामले में विषय हैं, 2008/2009 में की गई थीं। इस प्रकार, 2016 की रिट याचिका (एस. बी.) 569 को खारिज कर दिया गया और पदोन्नति पाने वालों ने अपनी याचिकाओं पर आपत्ति जताई।

इसे अस्वीकार कर दिया गया था।

27. जहाँ तक कोटा-रोटा डी पोस्ट आधारित रोस्टर प्रणाली के आधार पर सीधी भर्तियों के दावे का संबंध है, यह देखा गया कि यह बहुत कम था। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वरिष्ठता की आवश्यकता थी

कोटा-रोटा लागू करके लागू किया गया।

28. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

" उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:

(1) वी. के. श्रीवास्तव के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज किए जा चुके छठे संशोधन नियम, 2006 के अधिकारों को चुनौती देने पर हम पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं।

(2) 2016 की रिट याचिका संख्या 16569 (एस. बी.) में रिक्तियों की घटना की तारीख से पदोन्नति और वरिष्ठता के याचिकाकर्ताओं के दावे का कोई तथ्यात्मक और कानूनी आधार नहीं है।

(3) समिति द्वारा रिक्तियों के निर्धारण में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वरिष्ठता का निर्धारण टिकाऊ नहीं है।

(4) वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर, 2011 और जनवरी, 2012 में सीधी भर्तियों की नियुक्ति में कोई त्रुटि नहीं है, जब उसी चयन के अंतिम चयनकर्ता डॉ.

ए. के. सिरकर और बलवंत सिंह नरवाल के मामले को देखते हुए

(ऊपर)।

(5) नियम, 1975 के नियम 22 और 26 के संदर्भ में कोटा रोटा नियम और उसके अनुसार वरिष्ठता के निर्धारण का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामलों में दिया गया निर्णय नहीं दिया गया है।

अनिवार्य रूप से पालन किया गया।

(6) वरिष्ठता का निर्धारण स्पष्ट रूप से गलत है और नियम, 1975 के नियम 26 के विपरीत है जो इलाहाबाद-टीएचआर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के आदेश के अनुसार इस तरह के निर्धारण की परिकल्पना करता है।

आरईजीआर। जनरल। वी. यू. पी. राज्य [आदर्श कुमार गोएल, जे.]

नियम 22 के उप-नियम (1) और (2) के तहत सेवा में, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है आवर्तन/चक्रीय का क्रम।

भर्ती के विभिन्न स्रोतों से नियुक्तियों को एक ही धारा/कोटे के भीतर उनके अंतर-नियुक्ति को बाधित किए बिना और नियुक्ति की तारीख के आधार पर एन ब्लॉक प्लेसमेंट नहीं किया गया है।

29. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है। पहला मुद्दा यह उठाया गया है कि क्या वर्ष 2008/2009 में भर्ती किए गए पदोन्नति प्राप्त लोग हैं

वे इस आधार पर अपने चयन से पहले वरिष्ठता के हकदार हैं कि 9 जनवरी, 2007 से पहले किसी उपयुक्तता परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी और ऐसी आवश्यकता के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव अवैध था। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार से सहमत हैं कि अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में और पूर्वव्यापी रूप से लागू संशोधित नियमों के तहत उपयुक्तता परीक्षण की आवश्यकता थी, जिसे इस न्यायालय द्वारा वी. के. श्रीवास्तव (ऊपर) में विधिवत बरकरार रखा गया था। इस प्रकार पदोन्नति नहीं दी जा सकी। उपयुक्तता परीक्षण के बिना पदोन्नति और न ही वे इसके बिना वरिष्ठता का दावा कर सकते हैं। उन्हें उनकी नियुक्तियों से वरिष्ठता दी गई है।

30. कोटा-रोटा नियम के संबंध में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह नियमों की एक अनिवार्य आवश्यकता है। उक्त आवश्यकता है

वर्तमान तथ्य स्थिति में भी नहीं दिया जा सकता है। यदि रोटा नियम लागू किया जाता है, तो यह पदोन्नति पाने वालों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का काम करेगा। अतः नियमों की व्यावहारिक व्याख्या करनी होगी। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित किया गया है यदि कोटा निर्धारित करने के नियम पर कार्रवाई करना अव्यावहारिक हो जाता है तो वर्ग-II इंजीनियरिंग अधिकारी संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य की भर्ती करें।

दो स्रोतों से, यह जोर देने का कोई फायदा नहीं है कि प्राधिकरण को देना चाहिए

इस तरह के नियम का प्रभाव। एक नियम का सम्मान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन यदि इसे लागू करना संभव नहीं है, तो नियम की व्यावहारिक व्याख्या की जानी चाहिए। इस प्रकार, रोटेशन सिद्धांत का पालन किए बिना प्रत्यक्ष भर्तियों से ऊपर पदोन्नतियों को दी गई वरिष्ठता के साथ उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कायम नहीं रखा जा सकता है।

9 (1990) 2 एस. सी. सी. 715, पैरा 23 1112

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए.

31. तदनुसार, हम विशेष अनुमति से उत्पन्न अपील की अनुमति देते हैं।

2017 की याचिका (सिविल) No.26993 और सीधी भर्तियों द्वारा दायर उच्च न्यायालय की फाइल पर 2017 की रिट याचिका (एस. बी.) संख्या 1880 को खारिज करना। हम पदोन्नतियों द्वारा दायर 2016 की रिट याचिका (एस. बी.) संख्या 16569 को खारिज करने के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हैं और 2016 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) D.No.39750 से उत्पन्न अपील को खारिज करते हैं।

बी.

2017 .

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अन्य सभी मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा।

तदनुसार।

अंकित ज्ञान